न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 37/2020

उनवान :

1. राजेश कुमार
2. सुरेश कुमार
3. रामभगत
4. बलजीत कुमार

} पुत्रान औमप्रकाश कौम अहीर (यादव) निवासी अनूपशहर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. औमप्रकाश पुत्र कनीराम जाति अहीर (यादव) निवासी अनूपशहर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– प्रतिवादी

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955
उपस्थिति : वकील श्री किसनलाल यादव : वादीगण

निर्णय दिनांक : 18-3-2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम अनूपशहर की जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 74 के खाता सं0 474/437 के खसरा सं0 421 की 1.644 है0, 438 की 15.682 है0 खसरा सं0 761 की 16.036 है0 खसरा सं0 950 की 3.200 है0, कुल 36.562 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में स्थित है जिसमें प्रतिवादी औमप्रकाश का अपने भाई मालाराम के साथ 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है तथा शेष भूमि अन्य सह खातेदारों के नाम दर्ज है। प्रतिवादी औमप्रकाश को उपरोक्त कृषि भूमि अपने पिता कनीराम से विरासतन प्राप्त हुई है। वाद भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद पैतृक सम्पति है जिसमें प्रतिवादी औमप्रकाश के साथ साथ वादीगण भी जन्म से हक निहित है तथा वादीगण वाद भूमि के प्रतिवादी के साथ बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी राजेश कुमार के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 से 3 प्रदर्शित [illegible] पत्रावली बहस हेतु रखी गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौरान बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार [illegible] पैतृक सम्पति है जिसमें प्रतिवादी औमप्रकाश के साथ [illegible] हक निहित है। इस वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:46:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हमने विद्वान अभिभाषक वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण ने हस्तगत वाद रोही मौजा ग्राम अनूपशहर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादीगण ने अपने दावा की पुष्टि में फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खेवट खतौनी ग्राम अनूपशहर सम्वत 2031 से 34 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाई है जिसमें वाद भूमि वादीगण के दादा के नाम दर्ज है जिससे वाद कृषि भूमि वादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना साबित है एवं प्रतिवादी सं 1 औमप्रकाश के वारिसान में चार पुत्र राजेश कुमार, सुरेश कुमार यादव, बलजीत कुमार व रामभक्त होना सरपंच के प्रमाण पत्र में अंकित है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य हैं।

अत : वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम अनूपशहर की जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 74 के खाता सं0 474/437 के खसरा सं0 421 की 1.644 है0, 438 की 15.682 है0 खसरा सं0 761 की 16.036 है0 खसरा सं0 950 की 3.200 है0, कुल 36.562 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में स्थित है जिसमें प्रतिवादी औमप्रकाश का अपने भाई मालाराम के साथ 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में जो तन्हा प्रतिवादी सं0 1 औमप्रकाश का 1/4 हिस्सा है उसमें वादीगण व प्रतिवादी औमप्रकाश पांचों बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार है यदि वाद कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी पांचो के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18-3-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारेठ)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:46:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारेठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 37/2020

उनवान :

1. राजेश कुमार
2. सुरेश कुमार
3. रामभगत
4. बलजीत कुमार

} पुत्रान औमप्रकाश कौम अहीर (यादव) निवासी अनूपशहर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

औमप्रकाश पुत्र कनीराम जाति अहीर (यादव) निवासी अनूपशहर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ मुकेश बारेठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री किसनलाल यादव की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम अनूपशहर की जमाबन्दी सम्वत् 20712 से 73 के खाता सं0 474/437 के खसरा सं0 421 की 1.644 है0, 438 की 15.682 है0 खसरा सं0 761 की 16.036 है0 खसरा सं0 950 की 3.200 है0, कुल 36.562 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में ...शत है जिसमें प्रतिवादी औमप्रकाश का अपने भाई मालाराम के साथ 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में जो तन्हा प्रतिवादी सं0 1 औमप्रकाश का 1/4 हिस्सा है उसमें वादीगण व प्रतिवादी औमप्रकाश पांचों बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार है यदि वाद कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी पांचो के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/3/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:46:07 IST
Reason: SelfAttested

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner